एआई-सहायित

स्रोत-लिंक्ड

रिपोर्ट आईडी
LT-J-SAMPLE

निर्णय समझ रिपोर्ट

सभी के लिए कानून की स्पष्टता। • मूल कानूनी स्रोत ही अधिकृत रहेगा

खाता	भुगतान	चालान
TEST	TEST-MODE	TEST-MODE

मामले का संक्षिप्त विवरण

हिंदी

न्यायालय	वाद संख्या	निर्णय की तारीख
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH	U/S 482/378/407 No. - 2433 of 2014	20.6.2014

पक्षकार	पीठ / न्यायाधीश
Vidya Singh vs State Of U.P. & Another	Hon'ble Rajan Roy, J.

विद्या सिंह ने धारा 482 Cr.P.C. के तहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ में मजिस्ट्रेट के 12.05.2014 के आदेश को चुनौती दी। मजिस्ट्रेट ने उनकी धारा 156(3) Cr.P.C. की अर्जी को पुलिस जांच के लिए भेजने के बजाय शिकायत के रूप में लिया था और पुनरीक्षण भी खारिज हो गया था। आवेदिका का आरोप था कि उसके घर से घरेलू सामान, आभूषण और नकदी ले जाई गई तथा कुछ आरोपी अज्ञात थे। मुख्य प्रश्न यह था कि इन परिस्थितियों में पुलिस जांच आवश्यक थी या शिकायत-प्रकरण की प्रक्रिया पर्याप्त थी।

स्रोत: पृष्ठ 1, पैरा 1
स्रोत: पृष्ठ 2, पैरा 2

मामले के मुख्य बिंदु

- 1. आवेदिका ने धारा 156(3) Cr.P.C. के तहत पुलिस जांच की मांग की थी।
  स्रोत: पृष्ठ 2, पैरा 2

- 2. मजिस्ट्रेट ने अर्जी को शिकायत–प्रकरण के रूप में लिया क्योंकि आवेदिका तथ्यों से परिचित थी।
  स्रोत: पृष्ठ 2, पैरा 2
- 3. आवेदिका ने घरेलू सामान, आभूषण और नकदी ले जाए जाने का आरोप लगाया था।
  स्रोत: पृष्ठ 2, पैरा 2
- 4. कुछ कथित आपराधिक सहयोगियों की पहचान और चोरी की संपत्ति की बरामदगी बाकी थी।
  स्रोत: पृष्ठ 4, पैरा 23
- 5. जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण खारिज कर दिया था।
  स्रोत: पृष्ठ 2, पैरा 2

न्यायालय ने क्या कहा

- 1. मजिस्ट्रेट के पास धारा 156(3) की अर्जी को शिकायत के रूप में लेने की शक्ति है, लेकिन यह विवेक न्यायसंगत ढंग से प्रयोग होना चाहिए।
  स्रोत: पृष्ठ 3, पैरा 3
- 2. जहां ऐसी जांच जरूरी हो जो निजी शिकायतकर्ता स्वयं नहीं कर सकता, वहां पुलिस जांच का निर्देश उपयुक्त हो सकता है।
  स्रोत: पृष्ठ 3, पैरा 22
- 3. चोरी की संपत्ति की बरामदगी, अज्ञात व्यक्तियों का पता लगाने और साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस की जांच–शक्तियां आवश्यक थीं।
  स्रोत: पृष्ठ 4, पैरा 23
- 4. मजिस्ट्रेट ने यह मानकर त्रुटि की कि आवेदिका तथ्यों से परिचित है, इसलिए जांच की आवश्यकता नहीं है।
  स्रोत: पृष्ठ 4, पैरा 23
- 5. निचली अदालतों ने Gulab Chand Upadhyaya में बताए गए विवेक–प्रयोग के सिद्धांतों को उचित रूप से लागू नहीं किया।
  स्रोत: पृष्ठ 4, पैरा 23

न्यायालय का अंतिम निर्णय

- 1. उच्च न्यायालय ने मजिस्ट्रेट का 12.05.2014 का आदेश निरस्त कर दिया।
  स्रोत: पृष्ठ 4, पैरा 23
- 2. मजिस्ट्रेट को उच्च न्यायालय की टिप्पणियों के प्रकाश में धारा 156(3) की अर्जी पर पुनर्विचार कर नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया।
  स्रोत: पृष्ठ 5, पैरा 6
- 3. धारा 482 Cr.P.C. की अर्जी स्वीकार कर ली गई।

स्रोत: पृष्ठ 5, पैरा 6

इस निर्णय का सरल अर्थ

सरल अर्थ में, उच्च न्यायालय ने यह नहीं कहा कि हर धारा 156(3) की अर्जी पर FIR दर्ज होना ही चाहिए। उसने कहा कि जहां बरामदगी, अज्ञात आरोपियों की पहचान या ऐसे साक्ष्य जुटाने की जरूरत हो जो केवल पुलिस कर सकती है, वहां मजिस्ट्रेट को पुलिस जांच की आवश्यकता पर न्यायसंगत रूप से विचार करना चाहिए। इस मामले में मजिस्ट्रेट को फिर से विचार कर नया आदेश देना था।

स्रोत: पृष्ठ 3, पैरा 22
स्रोत: पृष्ठ 4, पैरा 23
स्रोत: पृष्ठ 5, पैरा 6

महत्वपूर्ण चेतावनी

यह केवल एआई-सहायित कानूनी जानकारी है। यह कानूनी सलाह नहीं है। अधिवक्ता-ग्राहक संबंध नहीं बनता। मूल कानूनी स्रोत और दस्तावेज़ ही प्रभावी रहेंगे। फाइलिंग या भरोसा करने से पहले सत्यापित करें।